

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालौर

पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी

आई.ए.एस.

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट

अशोकसिंह पुत्र नारायणसिंह  
जाति पुरोहित, निवासी बडगांव,  
तहसील रानीवाडा, जिला जालौर  
प्रकरण संख्या अपील

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी  
तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालौर

36/2019

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय  
दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर.  
एक्ट, प्रकरण संख्या 04/2019 अशोकसिंह बनाम सरकार

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभाषक अपीलान्त
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेन्ट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभाषक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 05.01.2020

अपीलान्त के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। विवरण में बहम सुनी गई। संक्षिप्त में इस प्रकार है कि

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलप्रदा भूमि के चार में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मायमसिंह राजपूत पु. जागीर कमीशनर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आवासीय भूमि जो उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उमका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का उल्लेख किया, जिसका इस अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बा-मकान आवासीय भूमि आदि का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि हो जागीरप्रदा भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे एड़ी खुली जमीन शामिल है। जागीर कमीशनर ने जालौर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) में जांच करवाई गई उन्होंने वाद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः जागीर कमीशनर के न्यायालय में पेश की, उसमें सूची वी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पडौस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजवादी प्राप्त नहीं है। पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरस्ता कर खसरा नम्बर 791 में ओरण की वजाय गै.मु. आवादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि रेवेन्यू रेकॉर्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार से नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्त में आवादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को ओरण का मानकर बंदखली व जुर्माना का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध

होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है। पटवर्गी हल्का बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के विरुद्ध प्रथम बार मार्च 2018 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जरिये बेदखली व 50/- रुपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय इसी पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर जीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निदोष किया है कि "कब्जाधारी जागीर कमीशनर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण ड्रॉप योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने भी अपना आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मौका जांच की जागीर कमीशनर का निर्णय, डिप्टी कलेक्टर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को गहनता से जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्या के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारा द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीशनर साहब के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की भौके पर जांच की, उस वकत चक्की व मकान पाये गये दिखाई दे, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1958-59 में घेटा की जिनका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली उमर में जूद थी जिसके चारो तरफ पुरानी काटो की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नही मिले, लेकिन मौतविराग ने चक्की व मकान वाला भूमि निटानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारो तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी इसमें अब दुकाने आवासीय मकानात है जागीरदार की निजी भूमि के पडोस बताये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल. आर एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप करने की वजाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 22 भूखण्ड बताये, जिसमें में अपीलान्त ने 11 गुणा 40 दुकान प्लस 10 फीट गस्ता प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड प्रेचान के खरीद कर का प्रात किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन किया। इसके बाद अपीलान्त ने ग्राम पंचायत से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने प्रेचाननामा पंजीयन किया, उसने भी इसी भूमि को आबादी भूमि मानते हुए पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्ल' के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि को ओरण मानने से विबंधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्त की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण न मानते हुये बेदखली व जुर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अतीतातीत निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना बताया जा रहा है जो गैर नाथल व उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी में दिया गया। जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की उपस्थिति या

अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 स.पी.पी के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उन्ही दिन मिली। इसके बाद अन्य नकले व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 को पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिटेशन का प्राथमिक पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अर्थात् यह शुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 से प्रभाव में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीरों की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उद्योग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम गेटलमेन्ट का पैगिश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निर्जी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रिकॉर्ड में आरण दर्ज हो गई जो मानवीय भुल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की जिला सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीशनर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ उभर रहा है उन्होंने कोई उजरदारी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रिकॉर्ड में गलत रूप में आरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूराना कर वगुन का आदेश पत्रों को विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। गेटलमेन्ट ऑथोरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत के मुकाबला वृद्धि की है जिसमें भी साबित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791 राम बंडगांव की मुख्य आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। यह है कि अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है। इसलिए उक्त अपील मुनने का क्षेत्राधिकार व प्राप्ताधिकार प्राप्त है। यह है कि अपील पर नियमानुसार कोर्ट फोय पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोर्ट कार्यवाही नहीं की है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अपीलग्रस्त को विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

वहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांत द्वारा अर्जी में वर्णित तथ्यों का विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवारी हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल अशोकसिंह के विरुद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 10/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश पूर्व बर्तार जूराना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल

द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या 43/2012 नारायणसिंह बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध नारायणसिंह द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 28/2012 नारायणसिंह बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध नारायणसिंह द्वारा निगरानी/एल.आर/1445/2015/जालोर अशोकसिंह बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिन्हा कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिनॉड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी अशोकसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत साकिन बडगांव द्वार धरंधर रूप में गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धरंधर 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बर्तार जुर्माना लगान दर 10/- रुपये का पचास गुणा 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो बसूल हो। विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 04/2019 सरकार बनाम अशोकसिंह में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आरजी ग्राम बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 0.71 हेक्टर क्रिसम गैर मुमकिन आंगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी जमान है। इस जिलाधीश (जागीर) जालोर द्वारा मौका वॉच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी जमान है का आबादी में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उम्में दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से त्रिविध रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के अपीलांत को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा ग्रामी निजाली के कनेक्शन भी लिये हुये है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आरजी पत्र का विज है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जारी किया गया धरंधर 91 का नोटिस नं. Badi

in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति ज़िम्मेदार भूमि पर बिना किसी संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रहा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जाएगा जबकि इस प्रकरण में अपीलांत अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टत अ.ए.आर.आ. 2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 अ.ए.आर.एक्ट लागू नहीं होता है।क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NCC जारी की है।तथा भू-खण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदशुदा है राजस्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा अधिकार अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धरणा की जायेगी जब तक की विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये।इसी के परिंश्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजों के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। आगे नहीं है।इस अपीलांत साबित करने में सफल रहा है।क्योंकि प्रकरण संख्या 04/2019 सरकार बनाम अशोकसिंह की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन वही है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है।जागीर कमिश्नर के निर्णय की पालना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जबकि मौजा स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतःअपीलांत की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजस्व अधिकारिता उपस्थित।तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहम के दौंगन तर्क दिये गया एक अपीलांत को नायब तहसीलदार कोर्ट में बंदखर्ची अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलांत द्वारा गैर मुमकिन ओरण किस्म की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा प्राप्त आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वादत खसरा नंबर दर्ज नहीं है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमान लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।चिवाचित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है।जिसको पूर्व में की किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है।रजिस्टर्ड बेचन दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है।तथा किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है।पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बंदखर्ची व जुर्माना के आदेश दिये गये है।अतःअधाराहीन अपील को खर्च पत्रावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहम के विन्दुओं पर ध्यान भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2063 में श्री नारायणसिंह पुत्र तगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बडगांव द्वारा राजासज कब्जा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई।नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 10/2012 अर्का बनाम नारायणसिंह दर्ज कर गैर सायल नाराणसिंह को जर्जिये नोटिस सुनवाई हेतु तैयार किया गया।पेशी तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा

निर्णय पारित कर गैर सायल को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/- रूपये में दंडित किया गया। निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 43/2012 नारायणसिंह बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांत की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकानी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 28/2012 नारायणसिंह बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने में स्वारिज हुई तथा अपीलाधीन निर्णय बहाल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1445/2015/जालोर अशोकसिंह बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अर्पण प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को एम निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहम कथनों एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को सत्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनिर्णयमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी अशोकसिंह पत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत साकिन बडगांव द्वारा अवैध रूप में एम मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/- रूपये का पचास गुणा 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचारार्थ अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 04/2019 प्रकरण बनाम अशोकसिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांत की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाने लये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एत बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बा भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछली खुली जमीन है। को आबादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादप्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने में जगिये वैधान वस्तावेज के अपीलांत द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करान एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी जारी करना भी अपीलांत द्वारा कथन किया गया है। जबकि रैस्पोंडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादप्रस्त भूमि बतौर खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछली खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से संबंधित है।

है। जिसकी पूर्व से ही किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन काबिल नहीं है। अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि को जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आवादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही वादग्रस्त अभिलेख में गैर मुमकिन ओरण बदस्तूर दर्ज चली आ रही है जो समाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से मालिन हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उल्लेख नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन ओरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुली जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन ओरण की भूमि हो चक्की का मकान वाला भू भाग रहा हो और उसे आवादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उल्लेख नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार माँजा बड़गाँव तहसील रानीवाड़ा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन ओरण किस्म की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन ओरण में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्ट किस्म भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा मुकदमा संख्या 04/2019 सरकार वनास अशावसिंह में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

54

(महेश सेना)

जिला कलेक्टर, जालोर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

54

(महेश सेना)

जिला कलेक्टर, जालोर